भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2067
दिनांक 21 **मार्च**, 2022

पीआरपी का भुगतान तथा व्यवसाय संबंधी व्यय

2067#. **चौधरी सुखराम सिंह यादव**:
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:
श्रीमती छाया वर्मा:
श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री 29.11.2021 और 07.02.2022 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्नों क्रमश: 153 एवं 618 के दिए गए उत्तरों को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन उत्तरों में भिन्नता के क्या कारण है;
(ख) प्रदर्शन आधारित वेतन (पीआरपी) तथा व्यवसाय संबंधी व्यय के भुगतान के लिए मौजूदा नीति क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (पीएसयू) के अधिकारियों को लॉकडाउन 2020 के दौरान 'व्यवसाय संबंधी व्यय' शीर्ष के अंतर्गत भुगतान किया गया है; और
(घ) प्रत्येक अधिकारी को अलग-अलग कितनी राशि भुगतान की गई है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) सरकार के दिनांक 29.11.2021 के प्रश्न सं. 153 के उत्तर में उत्तर की तारीख को निष्पादन से संबद्ध वेतन (पीआरपी) की हकदारी और एचपीसीएल के सीवीओ को कारोबारी व्ययों के भ्गतान के बारे में बताया गया था।

दूसरी ओर सरकार का दिनांक 07.02.2022 के प्रश्न सं. 618 का उत्तर एचपीसीएल के सीवीओ सहित तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधन को पीआरपी और कारोबारी व्ययों के भ्गतान से संबंधित है और उनकी हकदारी पूर्व दिशा निर्देशों, जिन्हें संशोधित कर दिया गया है, द्वारा प्रशासित थी।

अत: दिनांक 29.11.2021 के लिए प्रश्न सं. 153 तथा दिनांक 07.02.2022 के प्रश्न सं. 618 के उत्तर अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर हैं।

(ख) तेल पीएसयूज में निष्पादन से संबद्ध वेतन (पीआरपी) का भ्गतान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के मौजूदा अन्देशों के अन्सार किया जाता है। पीएसयूज अपनी आवश्यकताओं के अन्सार कारोबारी व्ययों के संबंध में अपनी नीति निर्धारित करते हैं।

(ग) और (घ) तेल पीएसयूज द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना **अनुलग्नक** में दी गई है।

दिनांक 21.03.2022 **को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 2067 **के भाग** (ग) **और** (घ) **के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

क्रम सं.	**सीपीएसई**	**लॉकडाउन** 2020 **के दौरान क्या कारोबारी व्ययों का भुगतान किया गया**
1.	ओएनजीसी	(क) स्वास्थ्य से जुड़े अनिवार्य उत्पादों की खरीद के लिए हेल्थकेयर पैकेज हेतु 10.23 करोड़ रुपए जो प्रति व्यक्ति 5000 रुपए से अधिक नहीं था। कुल व्यय 10.23 करोड़ रुपए। (ख) लॉकडाउन के कारण प्रचालनों को जारी रखने के लिए उन कर्मचारियों को महामारी अतिरिक्त ड्यूटी का भुगतान जो अपने निर्धारित ड्यूटी दिनों/घंटों के बाद भी अपने संस्थापनों में फंसे रहे थे। कुल व्यय 53.40 करोड़ रुपए।
2.	ओआईएल	नहीं
3.	गेल	नहीं
4.	आईओसीएल	हां (1542 अधिकारियों को मार्च-मई 2020 तक की अवधि के लिए 70.02 लाख रुपए का भुगतान किया गया)।
5.	एचपीसीएल	नहीं
6.	बीपीसीएल	हां (256 अधिकारियों को मार्च-मई 2020 तक की अवधि के लिए 43.13 लाख रुपए का भुगतान किया गया)।
7.	ईआईएल	नहीं
8.	एमआरपीएल	नहीं
9.	सीपीसीएल	हां (37 अधिकारियों को मार्च-मई 2020 तक की अवधि के लिए 2.87 लाख रुपए का भुगतान किया गया)।
10.	एनआरएल	नहीं
11.	बीएलसी	नहीं